

Amr- (4)

(4)

Amr- (7)

(2)

(L)

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
सुलभ भवन भोपाल-462004

Amr-5

क्रमांक-सप-73-12/2004/20-3
प्रति,

भोपाल, दिनांक

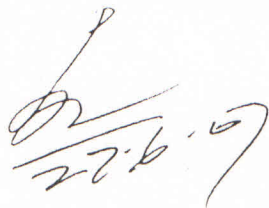
सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
प्रीत बिहार, नई दिल्ली ।

विषय:- अशासकीय संस्था - ~~महर्षि विद्या मैदिर~~ ~~करनी~~ ~~म.प्र.~~
को सी. बी. एस. ई. / ~~आई सी एस ई~~ नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु
अनापत्ति प्रमाण पत्र देने बाबत ।

=====

राज्य शासन द्वारा अशासकीय संस्था - ~~महर्षि विद्या मैदिर~~ ~~करनी~~ ~~म.प्र.~~ - -
को सी. बी. एस. ई. / ~~आई सी एस ई~~,
नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया
जाता है:-

1. प्रदेश में शिक्षण की जो संस्थाएँ स्थापित हो चुकी है, उनका लाभ प्रदेश के छात्रों एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल को मिल सकें इस हेतु संस्था की कार्यकारिणी में म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल के प्रतिनिधि/अधिकारी को नामांकित किया जाये ।
2. विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रम तथा अन्य छात्र-शिक्षकों की गतिविधियों के लिये खेल का मैदान छात्रावास भवन सुविधा आदि आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेगे । इस हेतु संस्था से वचन पत्र लिखाया जाये ।
3. इस संस्थाओं के तालमेल में उच्चशिक्षा की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण/जांच करने का अधिकार होगा ।



निरन्तर..2 पर

(1)

4. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरान्त भी म. प्र. राज्य शासन व लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समय-समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं विकास के संबंध में जारी निर्देशों का पालन करने का वचन-पत्र संस्था से प्राप्त किया जायेगा ।
5. संस्था की प्रबंध कारिणी समिति में म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी समिति में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा ।
6. प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान मेला का आयोजन आदि में सहयोग एवं सार्थक भूमिका प्रदान करेंगे ।
7. अशासकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रवेश संबंधी निषम प्रक्रिया तथा निर्धारित शुल्क यथा-समय प्रकाशित किये जायेगे । शिक्षण शुल्क लेने में पालकों का शोषण नहीं किया जायेगा ।
8. छात्र-छात्राओं को शालाओं में लगने वाले पुस्तकें एवं लेखन सामग्री छली बाजार से क्रय करने की सुविधा रहेगी । किसी दुकान विशेष से क्रय करने की बाध्यता नहीं रहेगी ।
9. शिक्षण संस्थाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार क्रियाशील अग्नि शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षिक संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन संस्थाओं को करना होगा ।
10. संस्था के छात्रों को उनके निवास से विद्यालय तक लाने एवं वापिस निवास तक भेजने के लिये परिवहन विभाग द्वारा दी गई अनुमति प्राप्त एवं वैध वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा । छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को किसी भी ऐसे ज्वलनशील साधन जैसे घरेलू सल. पी. जी. आदि से संचालित नहीं किया जायेगा ।

- मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

२ प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ० १०-ए-७३- १२ / २००७/२०-३

1. आधुक्त, लोक शिक्षण तंत्रालय, म. प्र. भोपाल ।

3. प्राचाई, अनातकीय शिक्षण संस्था - ~~महाविद्यालय~~ ~~विद्या~~ ~~मंदिर~~

की ओर सुदनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रणीत ।

२. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग